किस्म मुकदमाः— 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रकरण संख्याः 116 सन् 2020

GCMS:-2020/00323

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.9.20	आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो बेगाराम—हनुमानप्रसाद के संयुक्त नाम से तहसील सूरतगढ़ के ग्राम सोमासर के खाता संख्या 83/82 जमाबन्दी सम्वत 2068—2071 के खसरा नम्बर 182/59 में 4.554 हैक्टेयर बारानी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा रिकार्ड अनुसार दर्ज हैं। उक्त वर्णित रकबा प्रार्थी के पिता मुखराम पुत्र जीयाराम ने अपने पुत्रो प्रार्थी तथा प्रार्थी के भाईयो बेगाराम—हनुमान प्रसाद को दान में देकर दान पत्र दिनांक 11.06.2018 को उप—पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ से रजिस्टर्ड करवा दिया था। दान पत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 434 दिनांक 12.06.2018 को तस्दीक कर दिया गया। उक्त दान पत्र में प्रार्थी का नाम **रामेश्वर बुंगालिया** अंकित है जबकि जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम सहबन से **रामेश्वर** अंकित कर रखा है। जो गलत है। प्रार्थी अपना नाम **रामेश्वर** के स्थान पर **रामेश्वर बुंगालिया** अंकित करवाना चाहता है जो मुताबिक रिकार्ड दुरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि जमाबन्दी रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम **रामेश्वर** के स्थान पर **रामेश्वर बुंगालिया** अंकित करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम जारी किया जावे। शेष अंकन यथावत रखे जावे। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार रोही सोमासर सम्वत 2068—71 खाता संख्या 83 खसरा नम्बर 182/59 में 4.554 हैक्टेयर बारानी बेगाराम—रामेश्वर—हनुमान प्रसाद पि. मुखराम कौम जाट सा. सोमासर के नाम खातेदार दर्ज हैं। उपहार संलेख क्र.स. 103777 दिनांक 11.06.2018 में बेगाराम—रामेश्वर बुंगालिया—हनुमान प्रसाद पुत्रगण मुखराम अकवाम जाट सा. सोमासर अंकन किया हुआ हैं। नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 12.06.2018 में नामान्तरकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम रामेश्वर बुंगालिया के स्थान पर रामेश्वर दर्ज कर दिया गया हैं। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार यह एक तकनीकी त्रूटि हैं जो दुरूस्त की जानी आवश्यक हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रोही सोमासर सम्वत 2068—71 खाता संख्या 83 खसरा नम्बर 182/59 में 4.554 हैक्टेयर बारानी खातेदार के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम **रामेश्वर** के स्थान पर **रामेश्वर बुंगालिया** दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। जमाबन्दी की अन्य समस्त प्रविष्टियां पूर्ववत रहेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज०)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:23:19 IST
Reason: SelfAttested